## No. 22011/2/2002 –Estt (D)

#### Government of India

## Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training

\*\*\*

New Delhi-1100 01 January 6, 2006

## Office Memorandum

Subject: DPC Guidelines- Review of size of zone of consideration.

The size of zone of consideration for promotion by 'selection' as prescribed vide DoPT O.M. No. 22011/1/90-Estt.D dated 12<sup>th</sup> October 1990 read with O.M. No 22011/1/90-Estt- (D) dated 22<sup>nd</sup> April 1992 is as under

No. of vacancies.	Normal size of zone of consideration.	Extended zone of consideration for SC/ST.
1	5	5
2	8	10
3	10	15
4	12	20
5 and above	Twice the number of vacancies + 4	5 times the number of vacancies.

In view of the earlier policy of empanelling officers in accordance with the overall grading assigned to them by the DPC, thereby involving supersessions, a wider size of zone of consideration was necessary to provide the choice for selection on merit. However, vide DoPT O.M. No. 35034/7/97-Estt-D dated 8th February, 2002, it has been decided by the Government that there shall be no supersession in the matter of 'selection' promotion and the officers are to be graded by the DPC as 'fit' or 'unfit' with reference to the prescribed bench mark and those found 'fit' included in the panel as per the seniority in the feeder grade. Accordingly, a need has arisen for review of the size of zone of consideration. Having a size of zone of consideration larger than is necessary in the revised context would lead to unnecessary paper work, which may also lead to delay in convening DPCs. However, the zone of consideration has still to be wide enough to cater to the needs of the Department/cadre authorities for giving an extended panel against empanelled officers who are on deputation or are expected to proceed shortly; who have retired or will be retiring in the course of the vacancy year or who have refused promotion and are under debarment. The size should also be sufficient to take care of officers in the feeder grade whose cases are to be placed in 'sealed

cover' and also of those who do not meet the prescribed benchmark. Thus, there is a need for optimizing the size of zone of consideration.

- 3. The matter has been considered carefully. Keeping in view the considerations in para-2 above, it has been decided to modify the existing provisions relating to size of zone of consideration as under:
  - i) For vacancies upto [and including] 10, existing provisions relating to normal size of zone of consideration will continue to be applicable;
  - ii) For vacancies exceeding 10, the normal size of zone of consideration will now be one and a half times the number of vacancies, rounded off to next higher integer, plus three but shall not be less than the size of zone of consideration for ten vacancies;
  - iii) The existing size of extended zone of consideration for SC/ST officers, viz. five times the total number of vacancies, will continue to be applicable.
- A statement indicating the revised size of zone of consideration based on 4. the above decision is annexed. It is, however, reiterated, that while the size of zone of consideration would, hereafter, be as now prescribed, the DPC, as per the extant instructions, need not assess and grade all the officers in the eligibility list. Assessment of suitability of eligible employees in the zone of consideration (in the descending order of seniority in the feeder grade) for inclusion in the panel for promotion may be considered only upto a number, which is considered sufficient for preparing the normal panel with reference to the number of vacancies as also for preparing the extended panel for promotion in terms of Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 22011/18/87-Estt- (D) dated April 9, 1996. In respect of the remaining employees in the zone of consideration, as now prescribed, the DPC may put a note in the minutes that the assessment of the remaining employees in the zone of consideration is not considered necessary, as sufficient number of employees with prescribed benchmark have become available.
- 5. These instructions take effect from the date of issue of this Office Memorandum.

(Vidhu Kashyap)
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

#### Copy to:-

- 1. The President's Secretariat, New Delhi.
- 2. The Prime Minister's Office, New Delhi
- 3. Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 4. Rajya Sabha Secretariat/ Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
- 5. The Registrar General, Supreme Court of India.
- 6. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
- 7. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
- 8. Union Public Service Commission, New Delhi with reference to UPSC letter no. F.10/6/2002-AU-C dated 12<sup>th</sup> September, 2002. (20 copies)
- 9. Staff Selection Commission, New Delhi.
- 10. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 11. National Commission for SCs, New Delhi.
- 12. National Commission for STs, New Delhi.
- 13. Secretary, National Council(JCM), 13, Ferozeshah Road, New Delhi
- 14. Establishment Officer & A.S.
- 15. National Commission for OBCs, New Delhi.
- 16. All Officers and Sections in the Department of Personnel and Training.
- 17. Facilitation Center, DoP&T(20 copies).
- 18. NIC (DoP&T) for placing this Office Memorandum on the *Website* of DoP&T
- 19. Establishment (D) Section (50 copies).

\*\*\*

No. of	Normal size	Extended Zone of
vacancies.	of Zone of	consideration for SC/ST.
	consideration.	
1	5	5
2	8	10
3	10	15
4	12	20
5	14	25
6	16	30
7	18	35
8	20	40
9	22	45
10	24	50
11	24	55
12	24	60
13	24	65
14	24	70
15	26	75
16	27	80
17	29	85
18	30	90
19	32	95
20	33	100
30	48	150
40	63	200
50	78	250
60	93	300
70	108	350
80	123	400
90	138	450
100	153	500

# संख्या-22011/2/2002-स्थापना (घ) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांकः 06 जनवरी, 2006

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः विभागीय पदोन्नति समिति संबधी दिशा-निर्देश- विचारण क्षेत्र के आकार की समीक्षा।

'चयन' द्वारा पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र का, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-22011/1/90-स्थापना (घ) के साथ पठित दिनांक 12 अक्तूबर, 1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-22011/1/90-स्थापना (घ) में निर्धारित किए अनुसार, आकार निम्नानुसार है:-

रिक्तियों की संख्या	विचारण क्षेत्र का सामान्य आकार	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विचारण का बढ़ा हुआ क्षेत्र
1	5	5
2	8	10
3	10	15
4	12	20
5 और इससे	रिक्तियों की संख्या	रिक्तियों की संख्या से
अधिक 	से दोगुणा + 4	पाँच गुणा

2. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारियों को दी गई समग्र ग्रेडिंग के अनुरूप उनके नाम पैनल में शामिल किए जाने की पूर्व की नीति, जिसमें अधिक्रमण हो जाता था, के मद्देनजर, योग्यता क्रम के आधार पर चयन किए जाने के क्रम में अपेक्षित मांग पूरी करने के लिए विचारण के एक व्यापक क्षेत्र की आवश्यकता होती थी तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/7/97-स्थापना (घ) के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 'पदोन्नति द्वारा चयन' के मामले में कोई अधिक्रमण नहीं होगा और निर्धारित बैन्च मार्क के संदर्भ में

अधिकारियों को, विभागीय पदोन्नित समिति द्वारा उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त के रूपमें ग्रेडिंग की जानी है और जो अधिकारी उपयुक्त पाए जाएं उन्हें फीडर ग्रेड की वरिष्ठता के अनुसार पैनल में शामिल किया जाना है। तदनुसार विचारण क्षेत्र आकार की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता हुई है। संशोधित संदर्भ में विचारण क्षेत्र का आकार, आवश्यकता से अधिक रखने से अनावश्यक कागजी कार्रवाई बढ़ेगी जिससे विभागीय पदोन्नित समितियों की बैठकें आयोजित करने में देर होगी। तथापि विचारण क्षेत्र के आकार को अभी और अधिक व्यापक बनाना है तािक पैनल में शामिल किए गए उन अधिकारियों के संबंध में बढ़ा हुआ विचारण का क्षेत्र देने की, विभाग/संवर्ग प्राधिकारियों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके जो प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं अथवा जिनकी अल्पावधि के पश्चात् प्रतिनियुक्ति पर जाने की उम्मीद है, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा रिक्ति वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे अथवा जिन्हें पदोन्नित लेने से इन्कार कर दिया है और विवर्जित कर दिए गए हैं। इसका आकार इतना पर्याप्त होना चाहिए कि यह फीडर ग्रेड के उन अधिकारियों के मामलों का ध्यान रख सके जिनके मामले बंद लिफाफे में रखे जाने हैं और ऐसे अधिकारियों के भी मामले, जो निर्धारित बैन्च मार्क को पूरा नहीं करते । अतः विचारण क्षेत्र के आकार को इष्टतम बनाने की आवश्यकता है।

- 3. इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। उपर्युक्त पैरा 2 में दिए गए विचारों के मद्देनजर, विचारण क्षेत्र के आकार से सम्बद्ध मौजूदा प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-
  - (i) जिन मामलों में रिक्तियों की संख्या 10 तक होगी (दसवी सहित) वहां विचारण क्षेत्र के सामान्य आकार से सम्बद्ध मौजूदा प्रावधान लागू होते रहेंगे;
  - (ii) जहां रिक्तियों की संख्या 10 से अधिक होगी वहां विचारण क्षेत्र का सामान्य आकार, रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुणा होगा जिसे अगले उच्चतर पूर्ण अंक में मिला दिया जाएगा और इसमें तीन और उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जाएंगे अपितु यह 10 रिक्तियों के विचारण क्षेत्र के आकार से कम नहीं हो;
  - (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के विचारण क्षेत्र का मौजूदा आकार, अर्थात् रिक्तियों की कुल संख्या का पाँच गुणा, लागू होना जारी रहेगा।
- 4. उपर्युक्त निर्णाय पर आधारित, विचारण क्षेत्र के संशोधित आकार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। तथापि यह बात पुनः दोहराई जाती है कि चूंकि विचारण क्षेत्र का इसके पश्चात् आकार, अब निर्धारित किए अनुसार होगा, अतः मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति को पात्रता सूची वाले सभी अधिकारियों का मूल्यांकन करने और उन्हें ग्रेड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल किए जाने के आशय से विचारण क्षेत्र में पात्र कर्मचारियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन (फीडर ग्रेड में

वरिष्ठता के अवरोही क्रम में), पर विचार केवल उस संख्या तक किया जाए जिसे, रिक्तियों के संदर्भ में सामान्य पैनल तैयार करने के लिए और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-22011/18/87-स्थापना (घ) की शर्तों के अनुसार, पदोन्नति के लिए बढ़ा हुआ पैनल तैयार करने हेतु, पर्याप्त समझा जाता है। अब निर्धारित किए गए विचारण क्षेत्र, में आए शेष कर्मचारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति, कार्यवृत में यह टिप्पणी रख सकती है कि विचारण क्षेत्र के शेष कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि निर्धारित बैंच मार्क वाले पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हो गए हैं।

5. ये अनुदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।



सेवा में.

### भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

#### प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

- 1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 2. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 3. मंत्रिमण्डल सचिवालय नई दिल्ली ।
- 4. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली ।
- महापंजीयक , भारत का उच्चतम न्यायालय।
- पंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
- 8. संघ लोक सेवा आयोग को उनके दिनांक 12 सितम्बर, 2002 के पत्र सं. एफ.10/6/2002-ए.यू.सी. के संदर्भ में (20 प्रतियां)।
- 9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
- 10. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय के अन्तर्गत सभी संबद्ध कार्यालय ।
- 11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
- 12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
- 13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र,13,फीरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली।
- 14. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव।
- 15. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली ।
- 16. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
- 17 सूचना सुविधा काउंटर, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (**20 प्रतियाँ)** ।
- 18. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग) को यह कार्यालय ज्ञापन, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग की वेबसाईट पर सुलभ करवाने हेतु ।
- 19. रथापना (घ) अनुभाग (50 प्रतियाँ) ।

रिक्तियों की संख्या	विचारण क्षेत्र की सामान्य आकार	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विचारण का बढ़ा हुआ क्षेत्र
1	5	5
2	8	10
3	10	15
4	12	20
5	14	25
6	16	30
7	18	35
8	20	40
9	22	45
10	24	50
11	24	55
12	24	60
13	24	65
14	24	<i>7</i> 0
15	26	<i>7</i> 5
16	27	80
1 <i>7</i>	29	85
18	30	90
19	32	95
20	33	100
30	48	150
40	63	200
50	<i>7</i> 8	250
60	93	300
70	108	350
80	123	400
90	138	450
100	153	500